



बिहार सरकार  
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग)  
कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार  
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खॉ मार्ग, पटना-800 014  
संख्या-FC/63/2022- 214

प्रेषक,

सुरेन्द्र सिंह, भा०व०से०,  
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)  
—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),  
बिहार, पटना।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,  
बिहार सरकार, पटना।

पटना 14, दिनांक- 24/02/2026

विषय— श्री राणा प्रताप सिंह द्वारा सारण जिलान्तर्गत भदपा मौजा के खाता संख्या-104, 79, प्लॉट संख्या-381, 382, थाना संख्या-210, थाना-रिविलगंज में NH-19 छपरा-मांझी पथ के किनारे HPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.03975 हे. वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग— पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का ऑनलाईन प्रस्ताव सं.-FP/BR/Approach/156110/2022/1273, दिनांक 13.07.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा विषयक प्रस्ताव पर वन भूमि अपयोजन की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गयी है। सैद्धान्तिक सहमति (Stage-I) पत्र में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन प्रयोक्ता एजेंसी के पत्र दिनांक 23.02.2026 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्राप्त हुआ है, जो निम्नवत है—

| क्र० सं०   | प्रस्ताव संख्या FP/BR/Approach/ 156110/2022/1273, दिनांक 13.07. 2023 में निहित कंडिका  | अनुपालन  |
|--|--|--|
| <b>A. Conditions which need to be complied prior .....</b> |  |  |
| 1  | The user agency shall transfer the cost of raising and maintain the compensatory afforestation (100 trees plantation and maintenance ..... | प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा हरितावरण को बनाये रखने हेतु 100 वृक्षों के रोपण की 10 वर्षीय प्राक्कलन की राशि रु० 9,13,386.00 तथा रु० 5,359/-को मेरे द्वारा बिहार राज्य के लिये निर्धारित, Account No.-1506270156110187, BIHAR CAMPA, Union Bank of India में फंड ट्रांसफर कर दिनांक 21.11.2025 तथा 30.01.2026 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No.- IDIBR5202511 2148780142 तथा IDIBN520260130273 09898, जो Ministry website पर प्रदर्शित है। 100 पौधों के रोपण का कार्य पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा किया जायेगा। |


|   |  |  |
|---|--|--|
| 2   | The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 0.03975 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the order of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30.10.2002 ..... | NPV के मद में मेरे द्वारा द्वारा 0.03975 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये रु० 9,57,780/- प्रति हे० की दर से कुल रु० 38,072/- को बिहार राज्य के लिये निर्धारित Account No.- 1506270156110187, BIHAR CAMPA, Union Bank of India में फंड ट्रांसफर कर दिनांक 21.11.2025 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No.-IDIBR520251121487 80142 है, जो Ministry website पर प्रदर्शित है। |
| 3   | All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA fund only through e-portal .....   | मेरे द्वारा क्षतिपूर्क वनरोपण एवं NPV की राशि को RTGS के माध्यम से फंड ट्रांसफर कर Union Bank of India, Bengaluru के खाता में दिनांक 21.11.2025 तथा 30.01.2026 को जमा करा दी गयी है तथा उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है।  |
| 4   | The FRA certificate as per Ministry's guidelines shall be submitted before the issuance of final approval. The complete .....  | प्रयोक्ता एजेंसी के पत्र दिनांक 23.02.2026 द्वारा जिला पदाधिकारी, सारण से निर्गत FRA 2006 प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया गया है, जो इस पत्र के साथ संलग्न है।  |
| 5   | Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Cons.) Act, 1980 and action .....   | प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सूचित किया गया है कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।   |
| 6   | The compliance report shall be uploaded on e-portal.....   | प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सूचित किया गया है कि सभी शर्तों का Compliance report, Ministry के Website- <a href="http://parivesh.nic.in">http://parivesh.nic.in</a> पर अपलोड कर दिया गया है।  |
| <b>B. Conditions which need to be strictly complied on field after handing over .....</b> |  |  |
| 1   | Legal status of forest land proposed for diversion.....  | प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सूचित किया गया है कि अपयोजित होने वाली वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करूंगा।   |
| 2   | The State Forest Department shall plant 100 trees to maintain the green cover at the project cost....  | 100 पौधों के रोपण हेतु 10 वर्षीय प्राक्कलन की राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा जमा करा दी गयी है। अंतिम स्वीकृति के उपरान्त उक्त कार्यों को वन विभाग द्वारा किया जायेगा।   |
| 3   | Additional amount of the NPV of the diverted forest land.....  | प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सूचित किया गया है कि प्रस्तावित वन भूमि के लिये अगर NPV की राशि में किसी प्रकार की वृद्धि या संशोधन होता है तो, उसका भुगतान करेंगे।  |
| 4   | The approach road to petrol pump/ fuel station should be as per the following norms.   | प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा   |
|   | (a) Fuel station should generally be a part of rest area complex having other amenities.....   |  |

|   |   |   |
|---|---|---|
|   | (b) Suitable signs and marking showing the location.....  | प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा। |
|   | (c) Entire periphery of the retail outlet should be lined up with tree plantation at a close .... | प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा। |
|   | (d) Suitable plantations should be raised by the user agency along the approach .....             | प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा। |
| 5 | Wherever possible and technically feasible, the User Agency shall in consultation with SFD.....   | प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा। |
| 6 | The User Agency shall ensure that the labourers and staff engaged.....                            | प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा। |
| 7 | The lay out plan of the proposal shall not be changed without prior .....                         | प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा। |
| 8 | (a) The forest land shall not be used for any purpose.....  | प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा। |
|   | (b) The period of diversion under this approval shall be co-terminus with.....                    | प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा। |
|   | (c) The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred...        | प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा। |
| 9 | Any other conditions that the Ministry of Environment, .....                                      | प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा। |

इस प्रकार प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सैद्धांतिक (Stage-I) स्वीकृति में अधिरोपित सभी शर्तों का अनुपालन कर दिया गया है।

अतः अनुरोध है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से विषयाधीन परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.03975 हे. सुरक्षित वन घोषित पथ किनारे की भूमि के अपयोजन हेतु अंतिम स्वीकृति (Stage-II) निर्गत करने हेतु अनुरोध करने की कृपा की जाय।


अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन,  
  
 (सुरेन्द्र सिंह)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा),  
 -सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),  
 बिहार, पटना।

## Proforma

|    |   |   |             |  |                   |      |
|----|---|---|-------------|--|-------------------|------|
| 1  | Name of Regional Office   | Eastern Region, Ranchi  |             |  |                   |      |
| 2  | State/Distt./ Forest Division to Which the proposal Relates                                       | Bihar/Saran/ Saran Forest Division, Chhapra.                            |             |  |                   |      |
| 3  | Name of User Agency nature of proposal  | Shree Rana Pratap Singh/ HPCL Retail Outlet                             |             |  |                   |      |
| 4  | Extent of forest area involved  | 0.03975 Ha.   |             |  |                   |      |
| 5  | Whether Original, or extension  | Original  |             |  |                   |      |
| 6  | If extension of lease, Pl clarify if proposal involves additional forest area, and if so, specify | -NA-  |             |  |                   |      |
| 7  | Date of 1st stage Clearance   | 13.07.2023  |             |  |                   |      |
| 8  | <b>Extent of CAMPA charges head wise viz.</b>   |   |             |  |                   |      |
|    | a. Compensatory Afforestation   | Rs. 9,13,386/- + 5,359/- = 9,18,745/-                                   |             |  |                   |      |
|    | b. Additional CA  | -NA-  |             |  |                   |      |
|    | c. Penal CA   | -NA-  |             |  |                   |      |
|    | d. Catchment Area Treatment   | -NA-  |             |  |                   |      |
|    | e. Wildlife Management Plan   | -NA-  |             |  |                   |      |
|    | f. Additional Charges for diversion of area falling under notified/Protected areas                | -NA-  |             |  |                   |      |
|    | g. Net present Value  | 38,072/-  |             |  |                   |      |
|    | h. Penal NPV  | -NA-  |             |  |                   |      |
| 9  | Details of Bank RTGS/NEFT head-wise against items indicated in paragraph                          | S.No  | MODE Remtt. | UTR No. & Date   | Amount            | Head |
|    |   | 1   | e-challan   | IDIBR52025112148780142,<br>IDIBN520260130273 09898<br>dated 21.11.2025 and<br>30.01.2026 | 38,072/-          | NPV  |
|    |   | 2   |             |  | 9,18,745/-        | CA   |
|    |   | <b>Total-</b>   |             |  | <b>9,56,817/-</b> |      |
| 10 | Whether deposited by RTGS, if so, the particulars & date of remittance                            | As above.   |             |  |                   |      |
| 11 | Bank in which deposited, with date of deposition.   | All above sent to Union Bank of India on dt. 21.11.2025 and 30.01.2026. |             |  |                   |      |
| 12 | Any other remarks   |   |             |  |                   |      |

  
(Surendra Singh)

Signature of APCCF (CAMPA)  
-cum-Nodal Officer (FC), Bihar.

दिनांक- 23/02/2026

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा),  
-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार

विषय : श्री राणा प्रताप सिंह द्वारा सारण जिलान्तर्गत भदपा मौजा के खाता संख्या-104, 79, प्लॉट संख्या-381, 382, थाना संख्या-210, थाना-रिविलगंज में NH-19 छपरा-मांझी पथ के किनारे HPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.03975 हे. वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विषयान्तर्गत प्रस्ताव पर क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या-एफ.पी./बी.आर./एप्रोच/156110/2022/1273 दिनांक 13.07.2023 द्वारा General Conditions संख्या-A.(1-6), एवं B (1-9) तक अधिरोपित शर्तों के साथ सैद्धांतिक स्वीकृति दी गयी है जिसका अनुपालन प्रतिवेदन निम्नवत् समर्पित कर रहा हूँ:-

**A. Conditions :-**

1. हरितावरण को बनाये रखने हेतु 100 वृक्षों के रोपण की 10 वर्षीय प्राक्कलन की राशि रु. 9,13,386.00 तथा रु0 5,359/- को मेरे द्वारा बिहार राज्य के लिये निर्धारित, Account No.-1506270156110187, BIHAR CAMPA, Union Bank of India में फंड ट्रांसफर कर दिनांक 21.11.2025 तथा 30.01.2026 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No.- IDIBR52025112148780142 तथा IDIBN52026013027309898 है, जो Ministry website पर प्रदर्शित है (मूलप्रति संलग्न)।
2. NPV के मद में मेरे द्वारा द्वारा 0.03975 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये रु० 9,57,780/- प्रति हे० की दर से कुल रु० 38,072/- को बिहार राज्य के लिये निर्धारित Account No.- 1506270156110187, BIHAR CAMPA, Union Bank of India में फंड ट्रांसफर कर दिनांक 21.11.2025 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No.- IDIBR52025112148780142 है, जो Ministry website पर प्रदर्शित है। (मूलप्रति संलग्न)।
3. मेरे द्वारा क्षतिपूरक वनरोपण एवं NPV की राशि को RTGS के माध्यम से फंड ट्रांसफर कर Union Bank of India, Bengaluru के खाता में दिनांक 21.11.2025 तथा 30.01.2026 को जमा करा दी गयी है तथा उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है।
4. जिला पदाधिकारी, सारण द्वारा निर्गत FRA-2006 प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
5. मेरे द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।
6. मेरे द्वारा सभी शर्तों का Compliance report, Ministry ds Website- <http://parivesh.nic.in> पर अपलोड कर दिया गया है।

**B. Conditions :-**

1. अपयोजित होने वाली वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करूंगा।

2. मेरा द्वारा Compensatory Afforestation तथा NPV की राशि ईपोर्टल के माध्यम से कैम्पा खाता में जमा करा दिया गया है।
3. प्रस्तावित वन भूमि के लिये अगर NPV की राशि में किसी प्रकार की वृद्धि या संशोधन होता है तो, उसका भुगतान करेंगे।
- 4.(a) इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।  
(b) इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।  
(c) इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।  
(d) इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
5. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
6. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
7. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- 8.(a) इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।  
(b) इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।  
(c) इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
9. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

इस प्रकार मेरे द्वारा सभी शर्तों का अनुपालन कर दिया गया है। अतः अनुरोध है कि मेरे द्वारा समर्पित परियोजना पर अन्तिम स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की जाय।

अनु०—यथोक्त

विश्वासभाजन

राणा प्रताप सिंह

राणा प्रताप सिंह,  
पिता—श्री कौशल कुमार सिंह,  
ग्राम+पोस्ट—डुमरी, थाना—मांझी,  
जिला—सारण, पिन—841313

## AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank  
of India



## NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 18-11-2025

|                  |  |
|------------------|--|
| Agency Name.     | RANA SINGH   |
| Application No.  | 70156110187  |
| MoEF/SG File No. | FP/BR/APPROACH/156110/2022                                 |
| Location.        | BIHAR  |
| Address.         | S/o-Shri Kaushal Kumar Singh, AT&PO-Dumari, PS-ManjhiSaran |
| Amount(in Rs)    | 951458/-   |

Amount in Words :Nine Lakh Fifty-One Thousand Four Hundred and Fifty-Eight Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details:

|                      |  |
|----------------------|--|
| Beneficiary Name:    | BIHAR CAMPA  |
| IFSC Code:           | UBIN0996335  |
| Pay to Account No.   | 1506270156110187<br>Valid only for this challan amount.  |
| Bank Name & Address: | Union Bank Of India<br>FCS Centre, 21/1, III Floor,<br>Jelitta Towers, Mission<br>Road, Bengaluru-560027 |

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note:After making the required payment through ch  
even after 7 working days, then kindly mail a copy of  
id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@  
ubin0903710@unionbankofindia.bank



VTR  
FCSBLR5702

VTR  
202511248780142

[https://forestsclearance.nic.in/useraccount/Neft\\_ChallanCoro.aspx?bid=APP](https://forestsclearance.nic.in/useraccount/Neft_ChallanCoro.aspx?bid=APP)

2092 8184 553 / IDIB0000M620

**AGENCY COPY**

**Union Bank of India**

**NEFT / RTGS CHALLAN TO CAMPA FUND**

Date: 29.01.2026

|                   |   |
|-------------------|---|
| Agency Name       | BLANK 50034   |
| Application No.   | 78156110248   |
| NEFT/RTGS PFI No. | 7FDR0APP190ACR1561102248  |
| Location          | BHAR  |
| Address           | Dr. Moh. Khasimul Karim<br>Engg. 233PO, Dumrat, PB<br>Mawpithan |
| Amount in Rupee   | 0000  |

Amount in Words: Five Thousand Three Hundred and Fifty Rupees Only

**NEFT/RTGS to be made as per following details:**

|                     |   |
|---------------------|---|
| Beneficiary Name    | SHAR CAMPA  |
| PFC Code            | 2510096135  |
| Pay to Account No.  | 1106239155118248<br><small>Valid only for one challan amount.</small>                                   |
| Bank Name & Address | Union Bank Of India<br>PFC Centre, 291, 8th Floor,<br>Jawahar Towers, Mahatma<br>Road, Bangalore-560027 |

\* This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

**Notes:** After making the required payment through challan, even after 7 working days, then kindly mail a copy of your id to Email: [fcablr@unionbankofindia.bank](mailto:fcablr@unionbankofindia.bank), [spurs@unionbankofindia.bank](mailto:spurs@unionbankofindia.bank)

Rs. 5359/-

UTM: 1D1BN 52026013027309898

30.01.2026



कार्यालय, जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा के तहत रैखिक परियोजना निर्माण हेतु

53/च

FRA 2006 का प्रमाण पत्र  
(भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, नई दिल्ली  
द्वारा दिनांक 28.10.2014 को निर्गत दिशा निर्देश के तहत)

संख्या 1032 दिनांक 05/08/23

प्रयोक्ता एजेंसी श्री राणा प्रताप सिंह, पिता-श्री कौशल कुमार सिंह, या0+पो0-डुमरी, थाना-मौड़ी, जिला-सारण द्वारा सारण जिला अन्तर्गत मौजा-भदपा रेवेलगंज, (Bhadpa Revelganj), खाता नं0-104, 79, खेसरा सं0-381, 382, थाना-रीवेलगंज (Revelganj), थाना नं0-210, जिला-सारण में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के लिए पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत रैखिक परियोजना के लिए 0.03975 हे0 वन भूमि के अपयोजन (Diversion) हेतु समर्पित आवेदन पत्र के आलोक में वन प्रमंडल पदाधिकारी, सारण वन प्रमंडल, छपरा के पत्रांक-1686 दिनांक-23.11.2022 के द्वारा ग्राम पंचायत राज मोहब्वत परसा, प्रखंड-रिविलगंज के ग्राम सभा की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु प्राप्त कराया गया, जिस पर अनुमंडलीय वनाधिकार समिति, सदर छपरा के ज्ञापांक-20/आर0सी0 दिनांक-16.05.2023 द्वारा अनुमोदन प्राप्त है। इस आधार पर जिला वनाधिकार समिति के ज्ञापांक-997/आ0 दिनांक-28.07.2023 के द्वारा सर्वसम्मति से FRA, 2006 प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु निर्णय संसूचित किया गया है। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत वन भूमि अपयोजन हेतु वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र निर्गत करने संबंधी अधिसूचना संख्या-190 E दिनांक-16.02.1994 के अनुसार FRA, 2006 प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाता है।

तद्आलोक में प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित रैखिक विकास परियोजना (कंडिका-1 में वर्णित) के लिए अपयोजित होने वाली भूमि पर अवस्थित वृक्षारोपण दिनांक-13.12.2015 के पूर्व 75 वर्षों से कम अवधि में वन भूमि के रूप में अधिसूचित किया गया है और परियोजना क्षेत्र के गांवों में अनुसूचित जनजाति की अभिलिखित आबादी नहीं है।

जिला अधिकारी पदाधिकारी सारण, छपरा  
अपर समाहर्ता सारण, छपरा  
वन प्रमंडल पदाधिकारी सारण वन प्रमंडल, छपरा  
जिला पदाधिकारी सारण, छपरा

OR

Certified That Forest Land proposed to be diverted is a plantation which was notified as "forest" less than 75 years prior to the 13<sup>th</sup> day of December 2015 and is located in villages having no recorded populations of Scheduled Tribes.

जिला अधिकारी पदाधिकारी सारण, छपरा  
अपर समाहर्ता सारण, छपरा  
वन प्रमंडल पदाधिकारी सारण वन प्रमंडल, छपरा  
जिला पदाधिकारी सारण, छपरा

89

52/a

For Linear Project)  
Government of Bihar  
Office of the District Collector Saran

\*\*\*\*\*

No.....

Dated.....

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN


In Compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's Letter No11-19/98 EC(Pt) Dated.3<sup>rd</sup> August 2009 Where in the MoEF issued Guidelines on submission to evidence for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for Short) on the Forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MOEF's letter dated 5<sup>th</sup> February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that 0.03975 Hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Hindustan Petroleum Corporation Limited, Patna (Name of user Agency) for Retail Outlet (proposed for diversion of forest land) in Saran District fall within jurisdiction of Bhadpa Revelganj village (s) in Revelganj tehsils.


It is further certified that


- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire. 0.03975 Hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of consultations and meeting of the forest rights committee(s). Gram Sabha(s), Sub-Division Level-Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 1 to 3
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as Requied under section 3(2) of the FRA have been Completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.
- (c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive tribal groups and pre agricultural communities.

Encl. : As above

  
DSO  
Saran, Chapra  
S. K. Mishra

  
ADM  
Saran, Chapra

  
DFO  
Saran

  
District Magistrate  
Saran, Chapra